कार्यालय पंजीयक सभायें

जिला मण्डी (हि० प्र०)

सभायें पंजीकरण अधिनियम XXI, 1860

के अन्तर्गत पंजीकरण प्रमाण-पत्र

संख्या 48/2001

मैं प्रमाणित करता हूं कि अभिलाषी शिक्षा समिति नेर चौक तहसील सदर जिला मण्डी हि० प्र०

सभायें पंजीकरण अधिनियम XXI, 1860 के अन्तर्गत इस दिन पंजीकृत की गई है। आज दिनांक इक्कीस मई दो हजार एक।

को मेरे हस्ताक्षर द्वारा (मण्डी) में जारी किया गया। 21-5-2001

पंजीयक सभायें,
जिला मण्डी
हिमाचल प्रदेश।

पंजीयक सभायें जिला मण्डी

रु. 50/- रुपये पंजीकरण

शुल्क चालान संख्या 035-4146

दिनांक 21-5-01

द्वारा जमा किया गया।

संविधान

अभिलाषी शिक्षा समिति नेरचौक जिला मंडी हि० प्र० का संशोधित सविधान :-

समिति का नाम	: अभिलाषी शिक्षा समिति **(Abhilashi Educational Society)**
समिति का कार्यालय	: नेर चौक, डा० नेर चौक, जिला मण्डी (हि०प्र०)
संसोधन की तारीख	: 29-10-2023

अभिलाषी शिक्षा समिति जिसका गठन 24/12/2000 को हुआ। स्थानीय जनता के मिले जुले सहयोग से नर्सरी से लेकर विश्वविद्यालय तक की शैक्षिक एवम व्यावसायिक कक्षायें कला, विज्ञान, इंजीनियरिंग, औषधि, पशु चिकित्सा, भेषजी, प्रबंधन, आदि चलाने के उद्देश्य पर शिक्षण संस्थाओ का संचालन करेगी।

1. प्रबन्धन समिति :-

शिक्षण सस्थाओ के संचालन के लिए जिस प्रबन्धक समिति का गठन किया गया है उसके पदाधिकारी निम्न है :-

क०स०	नाम	पद
1	डा० राम कृष्ण	अध्यक्ष
2	श्रीमती प्रोमिला	उपाध्यक्ष
3	श्री नरेन्द्र कुमार	सचिव
4	श्री अजय कुमार	सदस्य
5	श्री संजीव कुमार	सदस्य

2. उद्धेश्य :-

समिति अपने शिक्षण संस्थानों के माध्यम से ऐसे नागरिकों का निर्माण करने के लिये कृत संकल्प है जो राष्टीय चरित्र तथा देश भक्ति की भावनाओं से ओतप्रोत हो जिसे अतीत की भारतीय संस्कृति, वर्तमान की कला, विज्ञान एवं तकनीकी और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने की क्षमताओं का समुचित विकास किया जाये। समिति का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से छात्रों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवम नैतिक विकास करना है ।

Secretary
Abhilashi Education Society
Ner-Chowk, Distt. Mandi (H.P.)

Vice Chairman
Abhilashi Educational Society
Nerchowk, Distt. Mandi (H.P.)

Chairman
Abhilashi Education Society
Ner-Chowk, Distt. Mandi (H.P.)

3. शिक्षा की योजना : –

समिति द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओ में सभी धर्मो, जातियों एवं सम्प्रदायों के छात्र- छात्राओं को शिक्षा प्रदान करना है तथा नर्सरी से लेकर विश्वविद्यालय की स्नातक तथा स्नातकतोर कक्षायें तथा व्यावसायिक कोर्स कला, विज्ञान, इंजीनियरिंग, औषधि, पशु चिकित्सा, भेषजी, प्रबंधन, आदि की शिक्षा प्रदान की जायेगी।

4. अवकाश:-

सरकारी नियमों पर अधारित।

5. समिति कि नियमावली : –

क. कोई भी व्यक्ति समिति का सदस्य पदाधिकारी हो सकता है जो:-

1. शिक्षा के क्षेत्र में रुचि रखने वाला हो।
2. 20 वर्ष से अधिक आयु का हो
3. दीवालिया या मानसिक रुप से असंतुलित न हो।
4. 100 रु. प्रति वर्ष अदा करे, वही सदस्य रह सकता है। सदस्य पदाधिकारी समिति की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहेगा उसकी सदस्यता रद कर दी जाएगी।
5. संस्था के लिए भूमि प्रदान करेगा या 10 वर्ष तक ईमानदारी से सेवा करेंगा और आर्थिक सहायता प्रदान करेगा वह समिति का आजीवन सदस्य रहेगा।

6. प्रबंध समिति का चयन : –

प्रबंध समिति का चयन अध्यक्ष द्वारा 3 वर्ष के लिए किया जाएगा। इसमें कम से कम 5 तथा अधिक से अधिक 11 सदस्य और पदाधिकारी होंगें अध्यक्ष , उपाध्यक्ष, सचिव, सदस्य।

7. प्रबंध समिति की बैठक : –

प्रबंध समिति की बैठक के लिए पदाधिकारियों, सदस्यों का दो तिहाई बहुमत अनिवार्य है। प्रत्येक पदाधिकारी, सदस्य का एक ही वोट होगा। सभी तरह के निणर्य साधारण बहुमत से उपस्थित सदस्यों की बैठक में लिए जाएगें। सचिव की अनुस्थिति में अस्थाई सचिव कि नियुक्ति करके बैठक का संचालन कर सकेगी।

Secretary
Abhilashi Education Society
Ner-Chowk, Distt. Mandi (H.P.)

Vice Chairman
Abhilashi Educational Society
Nerchowk, Distt. Mandi (H.P.)

Chairman
Abhilashi Education Society
Ner-Chowk, Distt. Mandi (H.P.)

8. समिति के कार्य / अधिकार : –

1. शिक्षण संस्थानों के प्रबंध के लिए नियम निर्धारित करना ।
2. सदस्यता प्रार्थना पत्रों पर विचार करके सदस्यता प्रदान करना ।
3. शिक्षण संस्थानों के स्टाफ की नियुक्ति करना, अनुशासनात्म कार्यवाही निलंबन, पदच्युत करना ।
4. समयानुसार अनुदान / निधियों की वृद्धी पर विचार करना ।
5. लेखा संबधित निर्णय करना ।
6. उचित दरों पर व समय में लेन देन सम्बन्धित निर्णय लेना, तथा जरुरत पर बैंक आदि से ऋण का प्रावधान करना ।
7. लेखा प्रशिक्षक की नियुक्ति करना ।
8. शिक्षण संस्थानों के भवनों के रख रखाव, किराये आदि का निर्णय करना ।
9. समिति का कोई भी सदस्य पागल या दीवालिया नहीं है ।
10. त्याग पत्रों पर विचार करना ।
11. शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों व वेतन निर्धारित करना ।
12. समिति के लेखा को मान्यता प्राप्त सी०ए० द्वारा प्रतिवर्ष चैक किया जाएगा।
13. किसी भी समय समिति / वर्तमान समिति अपनें कार्य करनें में फैल हुई तो उसे सारी सम्पति, अगली समिति या सरकार को सोंपी जाएगी।

9. अध्यक्ष की शक्तियां : –

1. अध्यक्ष समिति की सभी बैठकों की अध्यक्षता करेगा।
2. शिक्षण संस्थाओं का अकस्मात निरीक्षण करेगा।
3. किसी सदस्य / पदाधिकारी द्वारा दिए गए त्याग पत्र /निधन /निष्काषन के बाद उस पद पर पदाधिकारी को नियुक्त करेगा।
4. सभी तरह के आय व्यय का सीधा कर्मचारी/ पदाधिकारी के दो तिहाई बहुमत के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करके उसको पदच्युत की विशेष शक्ति को शिक्षण संस्थाओं के हित में प्रबंधक के पास होगी।
5. कर्मचारीयों के वेतन वितरण स्वयं करेगा या उसके लिए किसी कि नियुक्ति करेगा।
6. संस्था हित में अन्य निर्णय लेगा ।

Secretary
Abhilashi Education Society
Ner-Chowk, Distt. Mandi (H.P.)

Vice Chairman
Abhilashi Educational Society
Nerchowk, Distt. Mandi (H.P.)

Chairman
Abhilashi Education Society
Ner-Chowk, Distt. Mandi (H.P.)

10. उपाध्यक्ष :-

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठकों का संचालन कर सभी कार्यों को करेगा।

11. सचिव :-

1. सचिव कार्यवाही पत्रिका पर समिति द्वारा पारित प्रस्तावों का ब्यौरा रखेगा।
2. दो तिहाई बहुमत से अध्यक्ष के परामर्श पर बैठकों का आयोजन करेगा।
3. अध्यक्ष के निर्देशानुसार शिक्षण संस्थानों में कार्यरत अधिकारियो व कर्मचारियों पर अपनी पकड़ रखेगा।
4. अध्यक्ष के निर्देशन पर विभागीय पत्र व्यवहार करेगा।

सचिव
Secretary
Abhilashi Education Society
Ner-Chowk, Distt. Mandi (H.P.)

Vice Chairman
Abhilashi Educational Society
Nerchowk, Distt. Mandi (H.P.)

अध्यक्ष
Chairman
Abhilashi Education Society
Ner-Chowk, Distt. Mandi (H.P.)